Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जीएसएस भाभरू फीडर इन्चार्ज व प्राईवेट व्यक्ति 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये विहान कुमार रावत, फीडर इन्चार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर वि.वि.नि.लि., आतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जयपुर व विक्रम सैनी, प्राईवेट व्यक्ति को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिवार के मकान का बिजली कनेक्शन सम्बन्धी कार्य पिछले एक वर्ष से लम्बित है जिसको करवाने की एवज में विहान कुमार रावत, फीडर इन्चार्ज जीएसएस, भाभरू तहसील विराटनगर, जयपुर द्वारा 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में** शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के उप अधीक्षक पुलिस श्री संजय कुमार व पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये **विहान कुमार रावत** पुत्र श्री भगवान सहाय, निवासी ग्राम श्यामपुरा, पुलिस थाना विराटनगर, जयपुर फीडर इन्चार्ज, जीएसएस, भाभरू, तहसील विराटनगर, जयपुर व **विक्रम सैनी** पुत्र श्री रामजीलाल सैनी, निवासी ढाणी गैसकान, भाभरू, तहसील विराटनगर, जयपुर को परिवादी से 15 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।